एक नजर में

संतो के सानिध्य में हुआ श्री आदर्श रामलीला समिति का भूमिपूजन

ग्वालियर। प्राचीन काल से चली आ रही श्री आदर्श रामलीला समिति हनुमान नगर, आदर्श कॉलोनी (झंग बिरादरी) के अध्यक्ष हरिओम नागपाल, पंजाबी सेवा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल अरोड़ा, प्रवक्ता राजू पंडित ने बताया कि होली के पावन पर्व पर होने वाली रामलीला के मंचन का समय नजदीक आते ही पंजाबी समाज में हर्ष की लहर है जिसमें अन्य प्रान्तो से भी भारी संख्या में समाज के लोग परिवार सहित आएंगे। रामलीला मंचन की तैयारी जोरो शोरों से चल रही है जिसके चलते कलाकार प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से हनुमान मंदिर हनुमान नगर में अपने-अपने रोल को लेकर रिहर्सल कर रहे हैं, मंचन प्रारंभ से पूर्व शनिवार को संत श्री समर तीर्थ महाराज एवं संत श्री ऋषभ देवानंद लाल टिपारा गौशाला की उपस्थिति में मुख्य अतिथि समाजसेवी रोहित नीरु वाधवा द्वारा शिवाजी मार्ग नंबर 1 पर स्थित रामलीला स्थल का भूमि पूजन किया गया, तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया जिसमें झंग बिरादरी के अध्यक्ष जगदीश अरोड़ा, हनुमान नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद पाहवा, आदर्श कॉलोनी पंचायत के अध्यक्ष बलवंत मदान एवं समस्त राम भक्त भारी संख्या में उपस्थित रहे। रामलीला मंचन 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा। 5 मार्च को चल समारोह के साथ श्री आदर्श रामलीला मंचन एवं होली उत्सव का समापन होगा।

ट्रक दुकान में घुसा :पंजाब से बेंगलुरु जा रहा था मौसंबी से भरा वाहन

ग्वालियर। गोराघाट थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर नेशनल हाइवे-44 पर बड़ा हादसा हुआ। पंजाब से बेंगलुरु जा रहा मौसंबी से भरा एक एलपी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित बालाजी गुरु कृपा होटल के पास किराने की दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान संचालक आंचल दांगी की दुकान का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानदार को करीब 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रक के पलटने से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक तेज रफ्तार में था। चालक सलीम खान ने पुलिस को बताया कि अचानक सामने एक गाय आ गई, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक दुकान में जा घुसी।हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है। ट्रक चालक को चोटें आई हैं।

नंदकिशोर गोयल बंटी भैया के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

ग्वालियर। म प्र चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के डी पी मंडेलिया सभागार में मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के कार्यकारणी सदस्य नन्द किशोर गोयल के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नंदकिशोर गोयल को श्रद्धांजलि देते हुए अध्यक्ष डॉ प्रवीण अग्रवाल ने कहा नंदकिशोर गोयल एक ऐसी शख्सियत थे जो सभी के दिलों में बसते थे। वे 2023 में पहली बार कार्यकारिणी सदस्य बने, अपनी व्यवहार कुशलता से उन्होंने सबको अपना बना लिया था। उनका असमय निधन चेंबर एवं समूचे व्यापारिक समुदाय के लिए तो एक अपूरणीय एक क्षति है ही, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। 6 मार्च को उनकी बेटी का विवाह था जिसकी तैयारियां उनको करना थी। डॉ प्रवीण अग्रवाल ने कहा जिस तरह वे हमेशा चेंबर के साथ खड़े रहते थे आज चेंबर एवं समस्त व्यापारी समाज उनके परिवार के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा है। उनकी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी भी हमारी है।

ग्वालियर की बेटी शची पाठक 'टोक्यो मैराथन' में दौड़ेगी

ग्वालियर 21 फरवरी. ग्वालियर की बेटी शची पाठक आगामी 1 मार्च को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाली फुल मैराथन (42.2 किलोमीटर) में शामिल होगी। यह 'वर्ल्ड एथलेटिक्स प्लैटिनम लेबल मैराथन' है और दुनिया की सात प्रमुख मैराथन में शामिल है। जापान की प्रतिष्ठित हाइड्रेशन ड्रिंक कंपनी 'Pocari Sweat' ने भारत से इस मैराथन के लिए शची का चयन किया है। शची मूलतः धावक नहीं है लेकिन कंपनी ने एक 'नॉन रनर' को रनर बनाने की चुनौती के रूप में शची को चुना है। चयन प्रक्रिया में देश भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। मात्र तीन-चार महीने में दिन रात की मेहनत के बाद शची ने खुद को मैराथन के लिए तैयार किया है। वो 'फिरदौस' नाम से लिखती और स्टेज शो करती है।

गाड़ी से जब्त की गायें, गौशाला भिजवाई

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21 फरवरी. गाड़ी में भरकर ले जाई जा रहीं गायों को जनकगंज थाना पुलिस ने सूचना मिलने के बाद जब्त कर लिया। गाड़ी में 6 गाय और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की। पूछताछ में आरोपी पहले स्वयं को हिंदू बताता रहा, लेकिन सख्ती दिखाई तो उसने अपना असली नाम और पता बताया। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और गायों को लाल टिपारा स्थित गौशाला भिजवाया है।

जनकगंज पुलिस ने शनिवार सुबह की कार्रवाई

जनकगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में गायों को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और पुरानी पुलिस चौकी गिरवाई पर गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी चेक की तो उसमें गायें भरी हुई थीं। पुलिस ने गायों को नीचे उतारा और एक जगह बांधा। पूछताछ की तो गाय ले जाने वालों ने बताया कि वह मेरठ की मंडी से खरीदकर अपने घर के लिए लाए हैं। पुलिस ने कागजात मांगे तो जरूरी कागजात दिखा नहीं सके। गायों की खरीद-फरोख्त के कागज नहीं मिले तो पुलिस ने गायों के साथ गाड़ी को जब्त कर लिया। सुबह होते ही सबसे पहले गायों को गौशाला भिजवाने का प्रबंध किया गया। सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि गायों से भरी जो गाड़ी पकड़ी है, उसमें मथुरा से ले जाने का परमिट है। फिर भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जिससे सच्चाई का पता लग सके। गायों को बेहतर देखभाल के लिए गौशाला भिजवा दिया गया है।

गार्बेज शुल्क पर नगर निगम परिषद के पारित निर्णय को शीघ्र लागू किया जाए

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21 फरवरी. मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) का प्रतिनिधिमण्डल आज नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय से मिला तथा एक ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन में 29 दिसम्बर को नगर निगम परिषद द्वारा गार्बेज शुल्क की विसंगतियों को दूर करने हेतु पारित निर्णय को जल्द लागू करने एवं लागू होने तक गार्बेज शुल्क की वसूली को नहीं करने की मांग की गई। निर्णय लागू होने तक संपत्ति कर को गार्बेज शुल्क से अलग कर, संपत्ति कर की वसूली की जाए लेकिन गार्बेज शुल्क की जो दरें परिषद द्वारा 29 दिसम्बर को पारित की गई हैं, वही लागू की जाएँ। प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि यदि परिषद के निर्णय के इतर गार्बेज शुल्क की वसूली की जायेगी तो चेम्बर इसका विरोध करेगा। इसके साथ ही, शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा को जोड़ने वाली पाटनकर बाजार से महाराज बाड़ा की सड़क का जल्द निर्माण कराए जाने की मांग की गई क्योंकि करोड़ों रूपये की लागत से महाराज बाड़े को सुंदर बनाया गया है लेकिन जब पर्यटक इस रोड से होकर महाराज बाड़ा पहुंचते हैं तो शहर की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. निगमायुक्त संघ प्रिय ने प्रतिनिधिमण्डल को निराकरण के लिए आश्वस्त किया .

संपत्ति कर जमा नहीं करने पर की तालाबंदी

ग्वालियर 21 फरवरी. नगर निगम द्वारा संपत्तिकर वसूली के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े बकायदारों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है आज गुरुवार को अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर तालाबंदी की कार्रवाई की गई । उपायुक्त संपत्तिकर मुकेश बंसल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार बड़े बकायेदारों पर संपत्तिकर वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज वार्ड 42 स्थित सिन्ध महाजन एक्सचेंज, मोर बाजार में श्री सतीश अग्रवाल पर 2 लाख रूपये का सम्पत्तिकर बकाया था, भवन स्वामी द्वारा संपत्ति कर जमा नहीं करने की दशा में संपत्ति कर वसूली कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर तालाबंदी की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक एवं कर संग्रहक उपस्थित रहे।

कर्जा वापस लेने कर रहे थे प्रताड़ित, अधेड़ ने लगाई फांसी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 21 फरवरी. सूदखोरों ने एक अधेड़ को इतना प्रताड़ित किया कि उसने फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद परिजन पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन मुरार पुलिस नहीं पसीजी। मर्ग का मामला कायम तो किया, लेकिन सूदखोरों को आरोपी बनाने में पुलिस ने 5 महीने का लंबा वक्त लगा दिया। इतने लंबे समय तक सूदखोर आरोपी आराम से घूमते रहे और स्थिति आज भी यही है। जबकि आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। मुरार पुलिस की इस गैर जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई ने सूदखोरों को फरार होने का पूरा मौका दे दिया।

रमेश सिंह परिहार 58 वर्ष निवासी एसएलपी कॉलेज लाल साहब की बगीची सीपी कॉलोनी मुरार प्राइवेट काम करते थे। काम के सिलसिले में उन्होंने योगेश उर्फ योगेन्द्र ऑटो वाला निवासी नदी पार टाल मुरार, सोनू पंडित निवासी लेदर तातो रमेश फैक्ट्री मुरार, जीडी शर्मा संचालक जय माता दी टूर एंड ट्रेवल्स ठाटीपुर, एदल सिंह कंषाना निवासी दुल्लपुर मेला रोड, अंकित गुर्जर निवासी दुल्लपुर, बंटी शर्मा निवासी सीपी कॉलोनी तथा संजीव गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ से रुपए उधार लिए थे। उधारी की रकम करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। काम काम में घाटा हुआ तो रमेश परिहार तय समय पर उधार ली गई रकम वापस नहीं कर सके। जब रुपए वापस नहीं मिले तो उधार देने वाले रमेश परिहार को तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे। 15 सितम्बर 2025 को इस प्रताड़ना से तंग आकर रमेश परिहार ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उस समय मर्ग कायम किया था।

पांच महीने तक जांच ही करते रहे

मुरार पुलिस मामलों में कितनी संवेदनशील है इस बात का पता इससे चलता है कि मृतक रमेश परिहार ने सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा था कि इन लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर वह आत्महत्या कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से सुसाइड नोट का मिलान कराया तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि हैंड राइटिंग रमेश परिहार की है। इसके बावजूद पुलिस की ढीली जांच का रवैया, 5 महीने बाद दर्ज हो सका मामला

सभी आरोप हो गए भूमिगत

पुलिस को सूदखोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने में पांच महीने का लंबा समय लग गया। आरोपियों की में शामिल योगेश उर्फ शर्मा संचालक जय मातादी टूर एंड ट्रेवल्स , एदल सिंह कंषाना, अंकित गुर्जर, बंटी शर्मा तथा संजीव गुर्जर को जैसे ही यह मालूम चला कि मर्ग का मामला अब आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के केस में तब्दील हो गया है, सब के सब फरार हो गए। पुलिस की ढील वाली कार्रवाई ने आरोपियों को भागने का पूरा मौका दिया। मुरार पुलिस की इस गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई से वरिष्ठ अफसर भी नाराज हैं।

मुरार नदी से हटाया अवैध निर्माण

ग्वालियर. नगर निगम ग्वालियर द्वारा मुरार नदी से अवैध निर्माण एवं अस्थाई अवरोध को हटाया जाकर जुर्माना कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सीएनडी वेस्ट पर जुर्माना एवं नदी में कचरा डालने पर जुर्माना कार्रवाई की गई।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 17 वार्ड क्रमांक 38 स्थान हारकोटा लश्कर में स्थित है जो कि बलबीर सिंह कुशवाह/स्व. सुखलाल कुशवाह आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000185894 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 996 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी14260201६ए1534794 दिनांक 16/09/2016 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल पर दिनांक 20/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 71/2010/58597/58789 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 21-2-2026
संदीप चोकोटिया/रामकरन सिंह
पता: हारकोटा लश्कर, ग्वालियर म.प्र.
मोब-9329197236

युवाओं की ऊर्जा ही विकसित भारत की नींव : डॉ. शत्रुघ्न सिंह

ग्वालियर 21 फरवरी. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय श्यामलाल पांडवीय महाविद्यालय मुरार की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा सात दिवसीय आवासीय शिविर का शुभारंभ मुरार स्थित स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शत्रुघ्न सिंह तोमर ने किया। मुख्य अतिथि डॉ. हेमलता एवं मार्गदर्शक डॉ. एके सिंह एवं डॉ. बीके भारद्वाज उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप सिंह भदौरिया ने शिविर की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि आगामी सात दिनों में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, श्रमदान, बौद्धिक चर्चा और व्यक्तित्व विकास के सत्रों में शिविरार्थी भाग लेंगे। डॉ. शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा ही विकसित भारत की नींव है।

पति ने पत्नी को पत्थर मारकर किया घायल

ग्वालियर। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के वार्ड 2 की अयोध्या बस्ती में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पति इतना गुस्साया कि उसने पत्थर मारने शुरु कर दिए। हंगामा सुनकर मोहल्ले में रहने वाले मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। मामला शांत हुआ तो पत्नी पुलिस के पास पहुंच गई और पति के खिलाफ मारपीट करने का केस दर्ज करा दिया। घटना शुक्रवार शाम की है। रानी केन और उसका पति अमित केन के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। शुक्रवार शाम अमित केन घर पहुंचा तो रानी केन से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो अमित ने अपनी पत्नी रानी को गाली-गलौज देना शुरु कर दी। पत्नी इससे गुस्साई तो अमित केन ने पत्थर मारना शुरु कर दिया। कुछ पत्थर रानी को लगे। मोहल्ले में गाली-गलौज होता सुना तो आस-पास रहने वाले लोग एकत्रित हो गए और दोनों को शांत कराया। पत्नी शांत तो हुई लेकिन कुछ देर बाद पुलिस के पास पहुंच गई।

CHANGE OF NAME

Barnali Pal W/o No- **15429230W** Rank SEP (Chef Com) Name- **Amit Kumar Pal** Unit-436 Field Hospital. Presently Residing at Vill- Gurdala Po- Khakurda, Ps-Belda Dist- Paschim Medinipur, Tehsil - Kharagpur State- West Bengal Pin-721445 Have Change My Name from **BARNALI PAL** to **BARNALI DEY PAL** Vide Affidavit No- **17AC 790890** Date- 04-02-2026

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 680 वर्गफीट है जो सर्वे क्रमांक 330 मिन राजस्व ग्राम रामगढ़ पटवारी हल्का क्रमांक 34 का भाग होकर वार्ड कमांक 02, रामगढ़, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में-प्रदीप सिंह जादौन एवं प्रवीण सिंह जादौन की भूमि, पश्चिम में-नाला एवं आम रास्ता, उत्तर में-कच्चा रास्ता, दक्षिण में-कच्चा रास्ता स्थित है जिसे आवेदिका श्रीमती राधा गौर पत्नी श्री चन्द्रमोहन गौर जाति कायस्थ निवासी मोहल्ला रामगढ़, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्रीमती राजो बाई पत्नि श्री मोहन सिंह कुशवाह निवासी रामगढ़, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र ग्रंथ कमांक 3489, दस्तावेज क्रमांक 2508 दिनांक 24/11/1999 को क्रय कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।
दिनांक: 21/02/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

प्रथम पृष्ठ के शेष...

मुख्यमंत्री दतिया में...

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर काम चल रहा है। इसका भरपूर लाभ दतिया जिले के किसानों को भी मिलेगा। अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिले में 1.48 लाख हेक्टेयर से अधिक भू-रकबे में सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से यहां कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। बीते दो सालों में यहां 7 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ जिले के 1.37 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है। फसल बीमा योजना यहां के 1.26 लाख से अधिक किसानों का सुरक्षा कवच बनी है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली और सिंचाई की सुविधा मिल रही है। किसानों को सोलर पंप देकर बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारी सरकार आने तक प्रदेश का सिंचाई रकबा 44 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले डेढ़-दो साल में बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासकीय गौ-शालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। पात्र हितग्राहियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 गाय पालने पर 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम दतिया को विकास का केन्द्र बनाकर रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हितग्राहियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के हितलाभ भी वितरित किए।

इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दतिया जिले के लिए कुल 529 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमें 299 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत से 50 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 230 करोड़ 44 लाख रूपए की लागत से 21 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें प्रमुख रूप से 47 करोड़ 96 लाख रुपए से सिंध नदी पर बने नवीन उच्चस्तरीय पुल का लोकार्पण शामिल है। इससे करीब 200 गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 53 करोड़ 20 लाख रुपए से जल जीवन मिशन के तहत 122 गांवों की नल-जल योजनाओं का लोकार्पण, 40 करोड़ रुपए से ग्राम बसई में बने जिले के पहले सांदीपनी विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण एवं लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम बड़ौनी में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का लोकार्पण भी किया।

बस- ईको वैन की भिड़ंत...

प्रजापति (३२) पुत्र रामप्रकाश प्रजापति निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड ने ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों में केतू (१०) पुत्र संतोष निवासी मोरोली भिंड, संतोष (३७) पुत्र कल्याण निवासी मोरोली भिंड, मेवाराम पुत्र बाबूराम निवासी धार का पुरा थाना गोहद चौराहा, रामलखन पुत्र भगीरथ निवासी मेहगांव, मीरा शिवहरे पत्नी सुरेंद्र शिवहरे निवासी गल्ला मंडी भिंड व सुखवीर को तत्काल गोहद अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी छह घायलों को गंभीर हालत में जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया।

कार्यालय म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भूतल अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011
Email mp-lrs@mp.gov.in
क्रमांक-1990 / भू.अ.प्र.स./2026 भोपाल, दिनांक- 18/02/2026

संविदा पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित सार्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल के आई.टी. कैडर के अंतर्गत संविदा 770 जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यार्थियों से MP-Online पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

क्रमांक	पद का विवरण	पद संख्या
1.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	770

उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु अनिवार्य शैक्षिणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, मानदेय एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में विस्तृत जानाकारी http://www.mponline.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थीयों की डेमोग्रेफिक जानकारी E-KYC के माध्यम से ली जाएगी। अतः अभ्यार्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आधार कार्ड में अंकित नाम, जन्मितथि, लिंग, पता, मोबाईल नंबर एवं अन्य विवरण सही है। यदि त्रुटिपूर्ण है या विसंगति है तो अभ्यार्थी आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व इसे सुधार कराना सुनिश्चित करें।

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी MP Online पोर्टल
http://www.mponline.gov.in
आवेदन प्रारंभ तिथि: 23/02/2026
अंतिम तिथि: 23/03/2026
ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल

G-26173/25

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 46 स्थान कम्पू रोड में स्थित है जो कि अविनाश कुमार कनोजिया/हरनारायण कनोजिया के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000320121 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1339 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृत्यु उपरांत दिनांक... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी स्काउट पर दिनांक 20/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 82/2011/25191/25281 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 21-2-2026
माधवी कन्नोजिया, आकाक्षा, खुशबु, शशांक/स्व. अविनाश
पता: कम्पू रोड, ग्वालियर म.प्र.
मोब-9425338032

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 02 वार्ड क्रमांक 06 स्थान जगनापुरा में स्थित है जो कि आशीष खान/असद खान के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1003856001 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 725 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602025ए1145911 दिनांक 04/3/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला पर दिनांक 20/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 61/2010/58002/58210 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 21-2-2026
राजेन्द्र कुमार श्रीवास/बालकिशन श्रीवास
पता: जगनापुरा, ग्वालियर म.प्र.
मोब-8120300735

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. .., स्थान: जीवाजीगंज पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती गणेश बाबू पाण्डे / श्री मुन्नालाल पाण्डे के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 2000318170 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 110 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. MP142602025A1164353 दिनांक 10.03.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 11.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 81/2010/38716/60914/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
गौरव वर्मा / श्री हरीबाबू वर्मा
श्रीमती रेनू वर्मा / श्री राजीव वर्मा
पता: जीवाजीगंज चांद खां पुल, वार्ड-35
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 21-02-2026

आम सूचना

श्रीमती संध्या सेंगर पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह सेंगर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल भवन क्र.(पुराना) 29/860, 6/44, 6/452, 9/527 (नया), स्थित रंगियाना मौहल्ला, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जिसका सम्पत्ति क्र.1000169348 है एवं जिसका क्षेत्रफल 1163 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भवन साबुद्दीन खान, पश्चिम में-भवन श्रीराम सिंह यादव, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-भवन भोला जैन है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री अनूप चंद जैन पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जैन द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रणवीर सिंह यादव, श्री श्रीपाल सिंह यादव एवं श्री जयकुमार यादव पुत्रगण श्री मेघ सिंह यादव को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.314 दिनांक 06.06.1992 से विक्रय की गई। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री श्रीपाल सिंह यादव एवं श्री जयकुमार यादव द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती श्रृंगार सेंगर पत्नी श्री राम रूप सिंह सेंगर को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.234 दिनांक 15.11.2010 से विक्रय की गई। श्रीमती श्रृंगार देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती संध्या सेंगर उर्फ हेमलता पत्नी श्री हरेन्द्र सेंगर के हित में नोटराइज्ड वसीयतनामा विलेख सीरियल क्र.545 दिनांक 29.10.2010 को सम्पादित किया गया। श्रीमती श्रृंगार देवी का स्वर्गवास दिनांक 27.04.2011 को हो जाने के उपरांत, वसीयतनामा विलेख दिनांक 29.10.2010 के अनुसार, श्रीमती संध्या सेंगर उर्फ हेमलता पत्नी श्री हरेन्द्र सेंगर उनकी सम्पत्ति की मालिक हुई। श्रीमती संध्या सेंगर द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्री दीपक सूर्यवंशी पुत्र श्री गिरधारीलाल सूर्यवंशी के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री दीपक सूर्यवंशी द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित बुजुर्ग रोड से अंदर, ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर पालिका डबरा वार्ड क्र.27 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.216/2/3 ग्राम बुजुर्ग का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट हैं और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भवन सोलंकी, पश्चिम में-भूखण्ड सोनी, उत्तर में-गली 12 फुट चौड़ी एवं दक्षिण में-सम्पत्ति जगदीश भदौरिया है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री लाखन कुमार, श्री दिनेश कुमार पुत्रगण श्री द्वारिका प्रसाद के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती हेमलता पाण्डेय पत्नी श्री नाथूराम पाण्डेय के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती हेमलता पाण्डेय द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री दीपक साहू एवं श्री छोटू साहू पुत्रगण श्री राजेन्द्र साहू के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम कल्याणी, प.ह.नं.01, रा.नि.मं.01 टेकनपुर, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.320/1/8 (एस) ग्राम कल्याणी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1330 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-कल्याणी छीमक रोड, पश्चिम में-शेष भूमि विक्रेता, उत्तर में-सम्पत्ति काशीराम एवं दक्षिण में-भूखण्ड शोभाराम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री श्रीलाल पुत्र श्री करन सिंह द्वारा श्री शोभाराम पुत्र श्री चीमाराम, श्री कुंजाराम पुत्र श्री दौजीराम एवं श्री काशीराम पुत्र श्री दौजीराम को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2201 दिनांक 29.11.1996 से विक्रय की गई। श्री कुंजाराम द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री दीपक साहू एवं श्री छोटू साहू पुत्रगण श्री राजेन्द्र साहू को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142582023ए12473433 दिनांक 18.10.2023 से विक्रय की गई। श्री दीपक साहू एवं श्री छोटू साहू द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान डबरा के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री महेश कुमार राठौर पुत्र श्री रामदुलारे राठौर के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 24 एवं 25 का भाग, स्थित बलराम नगर, ग्राम मुरार, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.26 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1470/मिन-1 एवं 1471/मिन-1 ग्राम मुरार का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 566 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भूखण्ड क्र.25 का भाग, पश्चिम में-भूखण्ड क्र.24 का भाग, उत्तर में-सम्पत्ति दीगर एवं दक्षिण में-रास्ता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, श्री गिरीश, श्री महावीर पुत्रगण श्री शंकर, श्री राजवीर सिंह, श्री राकेश सिंह, श्री सत्यभान सिंह पुत्रगण श्री वकील सिंह गुर्जर के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री महावीर जैन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री महेश कुमार राठौर पुत्र श्री रामदुलारे राठौर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592018ए1713536 दिनांक 23.10.2018 से विक्रय की गई। श्री महेश कुमार राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सेवा गृह ऋण लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 375/1/1/1 राजस्व ग्राम सहराई पटवारी हल्का क्रमांक 55 का भाग होकर वार्ड क्रमांक 08, ग्राम सहराई डबरा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में-विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिम में - विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर में-आम रास्ता, दक्षिण में-आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री भगवानदास नागरे पुत्र श्री अमरजू नागरे उर्फ कुंजीलाल नागरे निवासी गांधी नगर, के/14 के पास, रेलवे कॉलोनी, गिर्द ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री रमेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री रामचरण लाल तिवारी निवासी ग्राम सहराई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन क्रमांक MPwvIGR17392025A100434249 से दिनांक 06/06/2025 को क्रयकर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।
दिनांक: 21/02/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भवन सम्पत्ति क्रमांक 176 जिसका क्षेत्रफल 415.5 होकर उक्त सम्पत्ति वार्ड क्रमांक 20, हरसी वाली गली महावीरपुरा, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में-चीकू बरार का मकान, पश्चिम में-मान सिंह चौहान का मकान, उत्तर में-मान सिंह चौहान का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री कपिल गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी अस्पताल के पास महावीरपुरा, वार्ड क्रमांक 20, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी/अनुबंधकर्ता श्री मंजेश सोनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सोनी निवासी वार्ड क्रमांक 20, महावीरपुरा, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, अनुबंधित अचल सम्पत्ति अनुबंधकर्ता की क्रयसुदा सम्पत्ति है जिसे उसने पूर्व स्वामी श्री अमर सिंह चौहान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04/07/2017 को क्रय कर प्राप्त किया तथा उक्त सम्पत्ति को अन्य सम्पत्ति के साथ विकेता श्री अमर सिंह चौहान अन्य सह-स्वामियों सहित धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।
दिनांक: 21/02/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक